

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन.सी.आर.), गुरुग्राम।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल) हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
10. कल्याण अधिकारी (महिला) पानीपत।

क्रमांक: स्था0/01/2019/ 18365-466

दिनांक: 2-8-19

Subject:- Implementation of HRMS:- Online leave submission & approval system and Annual Confidential Report.

उपरोक्त विषय के संबंध में।

विषयोक्त मामलें में आपको सादर सूचित किया गया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 01.04.2019 से प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अपने अवकाश हेतु ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है, जिसके लिए प्रत्येक विभागीय कर्मचारी/अधिकारी व IAS/HCS को intra haryana में दर्ज होना अनिवार्य है, ताकि वह अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति दे सकें।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप स्वयं व अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को इस बारे अवगत करवायें हुए intra haryana में दर्ज होने बारे सूचित करें ताकि मामलें में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

नोडल अधिकारी-कम-लेखा अधिकारी,
Human Resource Management System
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठाकांन क्रमांक: स्था0/01/2019/

दिनांक:

पत्र की प्रति मुख्यालय पर कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजकर अनुरोध है कि वह शीघ्र अति शीघ्र intra haryana पर अपनी उपस्थित दर्ज करवायें।

नोडल अधिकारी-कम-लेखा अधिकारी,
Human Resource Management System
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।